UPGB010121552016

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

उपस्थित : सुनील कुमार–I (एच0जे0एस0)–U.P.6075

सत्र परीक्षण संख्या : 519 सन् 2016

उत्तर प्रदेश राज्य.....**अभियोजन पक्ष।**

प्रति

श्रीराम पुत्र श्री राम प्रसाद, निवाासी मवई खुर्द, थाना खन्ना, जिला–महोवा, उत्तर प्रदेश।

.....अभियुक्त।

मु0अ0सं0–192/2016
धारा–304 भा0दं0सं0
थाना ईकोटेक–3, जिला–गौतमबुद्धनगर।

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या–519/2016, मु0अ0सं0–192/2016, थाना ईकोटेक–3, जनपद गौतमबुद्धनगर में अभियुक्त श्रीराम का विचारण धारा–304 भा0दं0स0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए किया गया।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा भगवान दास ने दिनांक 12.07.2016 को समय 14:00 बजे थाना ईकोटेक–3, जिला गौतमबुद्धनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि मेरा भाई मलखान उर्फ दशरथ पुत्र भुवनिया, ग्राम रोशनपुरा, पोस्ट बमरारा, थाना चरखारी, जिला–महोबा का रहने वाला था, जो राज मिस्त्री का काम करता था और इस समय ग्राम हल्दौनी में श्रीराम के मकान में चिनाई का काम कर रहा था और काम करने के बाद उसी के साथ छत पर सो जाता था। श्रीराम पर मेरे भाई के मजदूरी के रूपये बकाया थे, जो मांगने पर नहीं दे रहा था। श्रीराम और मेरा भाई इकट्टे शराब पीते थे और आपस में झगड़ा करते थे, जो मुझे मौहल्ले वालों ने बताया दिनांक 3/4.07.2016 की रात को मेरा भाई मलखान उर्फ दशरथ तथा श्रीराम पुत्र रामप्रसाद, निवासी ग्राम मवई खुर्द, थाना खन्ना, जिला महोबा छत पर शराब पी रहे थे। दोनों में झगड़ा हो गया। श्रीराम ने मेरे भाई के सिर में ईंट मारी, जिससे रात में छत पर ही पड़े रहने के कारण उसकी मौत हो गयी ओर श्रीराम भाग गया। मेरे भाई को तलाश करते हुए भूरे खान पुत्र फूलबाज खान, निवासी ग्राम रोशनपुरा जो इस समय गांव आखूपुर, थाना फेस–2, नोएडा में रह रहा है। हल्दौनी आया तो उसे इन सारी बातों का पता चला। उन्होंने मेरे मेरे को सूचना दी तो मैं हल्दौनी आया और गांव

वालों से उपरोक्त सारी जानकारी पता चली। पुलिस ने मेरे भाई की लाश का पोस्टमार्टम करवा दिया है। मैंने अपने भाई मलखान उर्फ दशरथ के कपड़े भी पहचान लिये हैं। इस प्रकार रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वादी मुकदमा भगवान दास द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना ईकोटेक–3, जिला–गौतमबुद्धनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–192/2016 अन्तर्गत धारा 304 भा0द0सं0 अभियुक्त श्रीराम के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 किता की गयी एवं कायमी मुकदमें का खुलासा जी0डी0 रपट सं0–20 समय 14.00 बजे दिनांक 12.07.2016 प्रदर्श क–3 में किया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विचेचना विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक सुनील कुमार शर्मा के सुपुर्द की गयी। विवेचना क्रम में विवेचनाधिकारी द्वारा नकल चिक, नकल रपट कायमी मुकदमा अंकित की गयी। नक्शानजरी तैयार कर साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और बाद विवेचना विवेचक द्वारा संकलित सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त श्रीराम की अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क–8 अन्तर्गत धारा 304 भा0द0सं0 में विचारण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर के न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा आरोपपत्र में वर्णित अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुये अभियुक्त का मामला बतौर आपराधिक वाद संख्या 16725/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक पुलिस प्रपत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध करायी गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होना पाते हुये अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत वाद परीक्षण हेतु दिनांक 24.08.2016 को सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिसे सत्र न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 519/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया। तदोपरान्त यह सत्र परीक्षण माननीय सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश से अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–2, गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्त श्रीराम को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 20.09.2016 को अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अन्तर्गत धारा 304 भा0द0सं0 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की गयी।

6. अभियोजन की ओर से अपने कथन को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क0सं0	**पी0डब्लू0**	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**
1	पी0डब्लू0–1	भगवान दास	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0–2	हैड कां0 सुरेश सिंह	चिक एफआईआर लेखक

3	पी0डब्लू0–3	डॉ0 सनतराम वर्मा	पोस्टमार्टम करने वाला साक्षी

7. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गयेः–

क्र.सं.	**अभिलेख**	**प्रदर्श**	**जिससे साबित कराया गया**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	चिक एफआईआर	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–2
3	कार्बन जी0डी0	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2
4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–3
5	पंचायतनामा	प्रदर्श क–5	औपचारिक रूप से स्वीकृत।
6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6	औपचारिक रूप से स्वीकृत।
7	नकल रपट 28	प्रदर्श क–7	औपचारिक रूप से स्वीकृत।
8	आरोप पत्र	प्रदर्श क–8	औपचारिक रूप से स्वीकृत।

8. अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया तथा मुकदमा झूठा चलने का कथन किया।

9. मैंने राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री धर्मेन्द्र जैन्त व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कंवरपाल सिंह विकल को सुना तथा तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

10. **पी0डब्लू0–1 भगवान दास** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मेरा भाई मलखान उर्फ दशरथ राज मिस्त्री का काम करता था, जो घटना के समय ग्राम हल्दौनी में श्रीराम के मकान पर चिनाई का काम कर रहा था। वह रात को वहीं रहता था। मेरे भाई को शराब पीने की आदत थी। श्रीराम व मेरा भाई साथ–साथ शराब पीते थे और वहीं रहते थे। दिनांक 3/4.07.2016 को मेरे भाई के साथ शराब पी थी तथा छत पर सोया था। मेरे भाई को मिलने के लिए भूरे खान पुत्र फूलबाज खान, निवासी रोशनपुरा जो उस समय घटना के समय आकूपुर में रहता था। हल्दौनी आया तो उसे पता चला कि गांव वालों ने बताया कि मलखान उर्फ दशरथ की मौत हो गयी है। भूरे खान ने मेरे को बताया। भूरे खान ने मुझे फोन पर मेरे भाई के मरने की बात बतायी थी। पुलिस ने मेरे भाई की लाश का पोस्टमार्टम करा दिया था। मैंने आकर अपने भाई के कपड़ों से पहचान की थी। घटना की रिपोर्ट थाने पर करने नरेश दीक्षित ने एक प्रार्थनापत्र लिखकर उस पर मेरा अंगूठा लगवा लिया था। उसने मुझे तहरीर पढ़कर नहीं सुनायी थी। मैं भी पढ़ना लिखना नहीं जानता। इस साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 की शिनाख्त की गयी। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि मैंने एफआईआर लिखने वाले को यह नहीं बताया था कि मेरे भाई की हत्या श्रीराम ने की है। मैं घटना के समय उपस्थित नहीं था, ना ही मुझे

इस घटना के बारे में जानकारी है। मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मलखान की हत्या श्रीराम ने की है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11. पी0डब्लू0–2 हैड कां0 सुरेश सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 12.07.2016 को मैं थाना ईकोटेक–3 में बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। उस दिन भगवान दास द्वारा थाने में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मैंने बोल बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर से मु0अ0सं0 192/2016 अंतर्गत धारा 304 भा0दं0सं0 विरूद्ध श्रीराम एफआईआर अंकित करायी थी। मैंने जो बोला था, वही कम्प्यूटर आपरेटर ने टाईप किया था। उस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 4ए/1 ता 3 को देखकर कहा कि यह वही चिक एफआईआर है, जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोलकर लिखायी गयी थी, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया, जिसका खुलासा मेरे द्वारा नकल रपट संख्या–20 समय 14:00 बजे दिनांक 12.07.2016 पर किया गया था, जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 12बी/8 है, जो मेरे हस्तलेख में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

12. पी0डब्लू0–3 डॉ0 सन्तराम वर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मैं दिनांक 06.07.2016 को बतौर मेडिकल ऑफिसर, शव विच्छेदन ग्रह, गौतमबुद्धनगर में तैनात था। उस दिन सी0पी0 521 नरेन्द्र सिंह, एच0जी0 सतीश कुमार थाना ईकोटेक–3 एक सीलबंद शव को मय 9 पुलिस प्रपत्रों के विच्छेदन के लिए लेकर आये थे, जिसका नाम मलखान पुत्र अज्ञात, पता अज्ञात उम्र लगभग 50 वर्ष था, जिसका मैंने शाम 4 बजे शव विच्छेदन किया था। शव के वाह्य परीक्षण में शरीर के ऊपर अकड़न पास हो चुकी थी। शरीर अच्छी कद काठी का था। आंखे दोनों उभरी हुई थीं तथा जीभ बाहर की तरफ थी। पूरे शरीर पर सूजन थी। शरीर के कई जगह पर खाल गायब थी। मृत्यु से पूर्व आयी चोटों का विवरणः–

1–एल.डब्लू. का आकार 6 गुणा 4 सेमी0 जो कि बोन डीप सिर के पीछे की तरफ आक्सीपुट बोन पर मौजूद था, जो कि बांये कान के 8 सेमी0 पीछे की तरफ मौजूद था व आक्सीपुट बोन टूटी हुई थी।

शव के आंतरिक परीक्षण में सिर की आक्सीपुट बोन टूटी हुई थी। मस्किष्क लिक्यूफाईड हो चुका था, जिसका रंग लाल था। दोनों फेफड़ों, हृदय, डिकम्पोजीसन अवस्था में थे। दांत 8/13 थे। अमाशय में 200 एम.एल. अधपचा भोजन था। पेट की छोटी बड़ी आंतें, लीवर, स्प्लीन, डिकम्पोज अवस्था में थे। पेनिस में सूजन थी व डिकम्पोज अवस्था में था। शरीर की लम्बाई 168 सेमी0 थी। तलवा 24 सेमी0 का था। कंधा से कंधा की लम्बाई 39 सेमी0 था। सिर की गोलाई 54 सेमी0 थी। सिर के बाल मूंछे व दाढ़ी शरीर से गायब थे। मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से करीब 2 से 3 दिन पूर्व का होना प्रतीत होता है। मृत्यु का कारण मेरी राय में मृत्यु से पूर्व का होना प्रतीत होता है। मृत्यु का कारण मेरी राय में मृत्यु से पूर्व सिर में आयी चोटों के कारण व बेहोश/कोमा होने के कारण होना सम्भव है। पोस्टमार्टम करते समय शव से हाथ का कलावा, मेटल रिंग एक, बनियान एक, कुर्ता एक, पजामा एक, अंडरवियर एक, एक पीस स्टर्नम हड्डी व एक मोलर टीथ शील कर साथ आये कांस्टेबल को सौंप दिया था। गवाह ने पत्रावली पर

दाखिल कागज संख्या 8ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 665/16 को देखकर कहा कि यह रिपोर्ट मेरे द्वारा दिनांक 05.07.2016 को तैयार की थी, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

13. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के भाई मलखान उर्फ दशरथ के साथ छत पर शराब पी गयी तथा मलखान उर्फ दशरथ द्वारा मजदूरी के पैसे मांगने पर झगड़ा कर उसके सिर में ईंट मार दी, जिससे रात में चोट के कारण छत पर पड़े रहने से उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

14. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगणों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं हो रहा है। किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पत्रावली पर ऐसा अन्य कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है, जिससे यह सन्देह से परे साबित होता हो कि अभियुक्त मौके पर था और उसके द्वारा उक्त घटना करित की गयी है। किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त के घटनास्थल पर होने या देखे जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 भगवान दास को पक्षद्रोही घोषित कर उसकी प्रति परीक्षा की गयी है, लेकिन प्रति परीक्षा में भी इस साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गयी है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

15. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध व सम्बन्धित विधि के विधिक प्रावधान निम्नवत् हैः–

<u>धारा 304 भा0द0सं0</u>–हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड–जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाएगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।''

16. प्रस्तुत प्रकरण में यह देखना है कि क्या अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 304 भा0दं0सं0 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है?

17. अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में साक्षी पी0डब्लू0–1 भगवान दास को परीक्षित कराया गया है तथा औरचारिक साक्षीगण के रूप में पी0डब्लू0–2 हैड कां0 सुरेश सिंह चिक एफआईआर लेखक व पी0डब्लू0–3 डॉ0 सन्तराम वर्मा को परीक्षित कराया गया है।

18. पी0डब्लू0–1 भगवान दास द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि उसका भाई मलखान उर्फ दशरथ राज मिस्त्री का काम करता था, जो घटना के समय ग्राम हल्दौनी में श्रीराम के मकान पर चिनाई का काम कर रहा था और रात को वहीं रहता था। उसके भाई को शराब पीने की आदत थी। श्रीराम व उसका भाई साथ–साथ शराब पीते थे और वहीं रहते थे। दिनांक 3/4.07.2016 को उसके भाई के साथ शराब पी थी तथा छत पर सोया था। उसके भाई को मिलने के लिए भूरे खान हल्दौनी आया तो गांव वालों ने बताया कि मलखान उर्फ दशरथ की मौत हो गयी है। भूरे खान ने उसे फोन पर उसके भाई के मरने की बात बतायी थी। पुलिस ने उसके भाई की लाश का पोस्टमार्टम करा दिया था। उसने आकर अपने भाई के कपड़ों से पहचान की थी। घटना की रिपोर्ट थाने पर करने नरेश दीक्षित ने एक प्रार्थनापत्र लिखकर उस पर उसका अंगूठा लगवा लिया था। उसने उसे तहरीर पढ़कर नहीं सुनायी थी। वह भी पढ़ना लिखना नहीं जानता। उसने एफ.आई.आर. लिखने वाले को यह नहीं बताया था कि उसके भाई की हत्या श्रीराम ने की है। वह घटना के समय उपस्थित नहीं था, ना ही उसे इस घटना के बारे में जानकारी है। उसे किसी ने भी नहीं बताया था कि मलखान की हत्या श्रीराम ने की है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया और उक्त साक्षी से जिरह की अनुमति चाही गयी। अनुमति प्रदान की गयी।

अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि घटना के समय उसका भाई मलखान श्रीराम के मकान में चिनाई कर रहा था, यह बात उसे भूरे खान व गांव वालों ने बतायी थी। उसके भाई मलखान ने उसे श्रीराम के मकान में काम करने वाली बात नहीं बतायी थी। उसका भाई मलखान काफी दिन से यहां काम कर रहा था, लेकिन वह कभी उससे मिलने नहीं आया और ना ही उसे पता कि वह कहां रहता है। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके भाई मलखान ने उसे बताया हो कि श्रीराम उसके पैसे न दे रहा हो। इस साक्षी को उसका बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो इस साक्षी ने कहा कि उसने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया, अगर लिखा है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसका मुल्जिम से समझौता हो गया हो और आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। इस बात से भी इंकार किया कि घटना की रिपोर्ट उसने स्वयं बोलकर लिखायी हो, बल्कि लिखी हुई तहरीर पर उसका अंगूठा लगवाया था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया कि वह घटना के 8–9 दिन बाद हल्दौनी आया था। वह अपने भाई मलखान के बारे में जानकारी करने थाना ईकोटेक–3 गया था, वहां पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखकर देने को कहा था। रिपोर्ट नरेश दीक्षित ने लिखी थी। उसने नरेश को यह नहीं बताया था कि उसके भाई की

हत्या श्रीराम ने की है। उसे किसी अन्य व्यक्ति ने भी यह नहीं बताया था कि उसके भाई मलखान की हत्या श्रीराम ने की है।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट है कि यह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी द्वारा अपने बयानों में भूरे खान द्वारा उसे उसके भाई की हत्या की सूचना देने, तहरीर नरेश दीक्षित द्वारा लिखकर उसके हस्ताक्षर कराने, नरेश दीक्षित को श्रीराम का नाम न बताने, तहरीर पढ़कर न सुनाने, घटना के समय उपस्थित न होने, उसे घटना के बारे में जानकारी न होने, पुलिस को कोई बयान न देने का कथन किया गया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

19. पी0डब्लू0–2 हैड कां0 सुरेश सिंह चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, जिसके द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व जीडी प्रदर्श क–3 को साबित किया गया है। पी0डब्लू0–3 डॉ0 सन्तराम वर्मा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने वाला औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4 को साबित किया गया है।

20. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र पंचायतनामा प्रदर्श क–5, नक्शा नजरी प्रदर्श क–6, नकल रपट 28 समय 13:30 दिनांक 07.07.2016 प्रदर्श क–7 व आरोप पत्र प्रदर्श क–8 की सत्यता को स्वीकार किया गया।

21. इस प्रकार अभियोजन, परीक्षित कराये गये साक्षीगणों के साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के भाई मृतक मलखान उर्फ दशरथ के साथ शराब पीकर झगड़ा कर उसके सिर में ईंट मार दी गयी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

22. उपरोक्त विवेचना के आधार पर जब प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्ष्य की समीक्षा की जाती है, तब स्थिति यह प्रदर्शित होती है कि पी0डब्लू0–1 भगवान दास वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर इस प्रकरण का अभियोग पंजीकृत किया गया है, किन्तु न्यायालय के समक्ष जब यह साक्षी उपस्थित हुई तो उसके द्वारा अपने द्वारा दी गयी तहरीर के विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उक्त साक्षी का संक्षिप्त विचारण किये जाने में अपराध का संज्ञान लिया जाता है। इस संदर्भ में इस साक्षी को बी.एन.एस.एस. की धारा 383 के तहत प्रकीर्ण वाद कायम कर नोटिस इस आशय का जारी किया जाये कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाये।

23. उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

24. अभियुक्त श्रीराम को सत्र परीक्षण संख्या 519/2016 में अपराध अंतर्गत धारा 304 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्त इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त के बंधपत्र एवं स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

26. वस्तु प्रदर्शों का निस्तारण अपील होने की दशा में, अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार, और अपील न होने की दशा में, बाद मियाद अपील, नियमानुसार किया जायेगा।

27. अभियुक्त धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पच्चीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करे, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक के लिए प्रभावी रहेगे।

28. पी0डब्लू0–1 भगवान दास के विरूद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 383 के तहत प्रकीर्ण वाद कायम कर नोटिस जारी किया जाये।

दिनांक : 15.06.2026

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 15.06.2026

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.06.20 15:39:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court